

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
दाऊ कल्याण सिंह भवन, मंत्रालय-रायपुर

क्रमांक 247/सी-28269/वित्त/नियम/चार/11

रायपुर, दिनांक 26 जुलाई, 2011

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त संभागीय आयुक्त
समस्त जिलाध्यक्ष,
छत्तीसगढ़ ।


विषय:-वित्तीय अधिकार पुस्तिका भाग-1 में संशोधन ।

राज्य शासन एतद् द्वारा संलग्न प्रपत्रानुसार वित्तीय अधिकार पुस्तिका भाग-1 के सेक्शन-II के अनुक्रमांक 1,2,3,7, सेक्शन-IV का अनुक्रमांक 56 एवं सेक्शन-V के अनुक्रमांक 1,2 को प्रतिस्थापित करता है तथा सेक्शन-IV के वर्तमान प्रत्यायोजनों के नीचे अनुक्रमांक 57 सम्मिलित करता है ।

2/ यह संशोधन आदेश जारी होने के तिथि से प्रभावशील होगा ।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार



(एस.के. चक्रवर्ती)

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

प्रतिलिपि:-

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर
2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय
3. सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, रायपुर
4. रजिस्ट्रार जनरल/महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग /मानवाधिकार आयोग / राज्य निर्वाचन आयोग / लोक आयोग, रायपुर
6. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़, रायपुर
7. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर
8. मुख्य सचिव के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, रायपुर
9. प्रमुख सचिव वित्त के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, रायपुर
10. आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय, रायपुर
11. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली
12. राज्य सूचना आयुक्त, निर्मल छाया भवन, शंकर नगर, रायपुर
13. समस्त सचिव/विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव/शोध अधिकारी/विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय, रायपुर
14. आयुक्त, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, रायपुर
15. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, रायपुर
16. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़
17. समस्त कोषालय अधिकारी, जिला/सिटी कोषालय, छत्तीसगढ़
18. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, रायपुर/बिलासपुर, छत्तीसगढ़
19. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर
20. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़
21. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, रायपुर को वित्त विभाग की वेबसाइट www.cgfinance.nic.in में अपलोड करने हेतु ।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।



अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

**BOOK OF FINANCIAL POWERS
VOLUME-I
SECTION-II**

POWERS DELEGATED IN RESPECT OF CONTINGENT EXPENDITURE

S. No	Description	Authority competent exercise the powers	Extent of Proposed delegation	Conditions
1	2	3	4	5
1	Sanction Purchase of instruments, minor equipments and apparatus	Administrative Department	Full Powers	Provided the item is included as new item in the Budget.
		Head of Department	Rs 2.00 lakhs	
		Head of Office	Rs 25,000 p.a.	
2	Sanction Purchase of office furniture, equipments and apparatus	Administrative Department	Rs 2.00 lakhs	This includes electric fans, air coolers, water coolers, fax machines and photocopiers but does not include air conditioners, risograph and LCD projectors.
		Head of Department	Rs 1.00 lakh	
		Head of Office	Rs 25,000	
3	Sanction Purchase of Computer hardware including Server, CPU, Monitor, Key Board and Mouse (it excludes laptop)	Administrative Department	Full Powers	Provided the item is included as new item in the budget.
		Head of Department	Rs 2.00 lakhs	
		Head of Office	Rs 50,000	
7	Sanction Purchase /upgradation of Software	Administrative Department	Rs 2.00 lakhs	It includes Operating System, Applications Software, Database, Anti-Virus, Firewall, Intrusion Detection System, Network Monitoring System, Language Compilers, File Transfer protocol.
		Head of Department	Rs 1.00 lakhs	


Amey

SECTION-IV**POWERS DELEGATED IN RESPECT OF MISCELLANEOUS ITEMS OF EXPENDITURE**

56	Sanction Purchase of Machinery and equipments	Administrative Department	Up to Rs 50.00 lakhs	Provided the Machinery or Equipments does not fall under the subject of new instrument of services.
		Head of Department	Up to Rs 10.00 lakhs p.a.	
57	To Purchase non recurring items classified under object head 'material supply'	Administrative Department	Full powers	Provided the item is included as new item in the budget individually or as part of a scheme. It does not include items falling under the category of office expenses.
		Head of Department	Up to Rs 4.00 lakhs per office.	

SECTION-V**POWERS DELEGATED IN RESPECT OF WORKS TO OFFICERS OTHER THAN WORKS DEPARTMENT**

1	To accord administrative approval for construction works except residential building.	Administrative Department	Rs 5 crores	Provided it is included as scrutinized item in the budget.
		Collectors/Head of Department	Rs 2 crores	
2	To accord administrative approval for construction works except residential building (not included as new item in the budget).	Administrative Department	Up to Rs 80.00 lakhs per work	(1) Subject to the condition that the subjected construction work does not fall under the criteria of new instrument of services. (2) In any case revised cost of such construction should not exceed Rs 1 crore. (3) This delegation shall apply only to one complete work and not to a fraction of it.
		Head of Department	Up to Rs 20.00 lakhs per work	



छत्तीसगढ़ शासन
वित्त एवं योजना विभाग
दारु कल्याण सिंह भवन, मंत्रालय-रायपुर

क्रमांक 367/सी-28269/11/वित्त/नियम/चार/

रायपुर, दिनांक 11.11.2011

प्रति,

1. प्रमुख सचिव/सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
लोक निर्माण/जल संसाधन/ लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
मंत्रालय, रायपुर ।
2. समस्त प्रमुख अभियंता/मुख्य अभियंता/ अधीक्षण अभियंता/ कार्यपालन अभियंता
लोक निर्माण/ जल संसाधन/ लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
छत्तीसगढ़ ।

विषय:-वित्तीय अधिकार पुस्तिका भाग-2 में कार्य विभागों के प्रत्यायोजनों का संशोधन ।


संदर्भ:-वित्त विभाग का ज्ञापन क्र. 35/सी-28267/वित्त/नियम/चार/2010 दिनांक 02.02.2010

वित्तीय अधिकार पुस्तिका भाग-2 में कार्य विभागों को प्रत्यायोजित अधिकारों में से वित्त विभाग के संदर्भित ज्ञापन दिनांक 02.02.2010 द्वारा प्रतिस्थापित अनुक्रमांक 88 के प्रत्यायोजनों को अधिक्रमित करते हुए संलग्न प्रपत्र अनुसार वित्तीय अधिकार प्रत्यायोजित किये जाते हैं । पूर्व में सौंपे गये अन्य प्रत्यायोजन यथावत रहेंगे ।

2. संबंधित विभाग अपने अधीनस्थ कार्यालयों/शाखाओं को अपने स्तर पर सूचित करें ।
3. यह संशोधन आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा ।

संलग्न:- एक प्रपत्र

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार



(एस.के.चक्रवर्ती)

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

प्रतिलिपि:-

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर
2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय
3. सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, रायपुर
4. रजिस्ट्रार जनरल/महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग /मानवाधिकार आयोग / राज्य निर्वाचन आयोग / लोक आयोग, रायपुर
6. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़, रायपुर
7. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर
8. मुख्य सचिव के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, रायपुर
9. प्रमुख सचिव वित्त के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, रायपुर
10. आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय, रायपुर
11. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली
12. राज्य सूचना आयुक्त, निर्मल छाया भवन, शंकर नगर, रायपुर
13. समस्त सचिव/विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव/शोध अधिकारी/विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय, रायपुर
14. आयुक्त, कोष,लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, रायपुर
15. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, रायपुर
16. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष,लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़
17. समस्त कोषालय अधिकारी, जिला/सिटी कोषालय, छत्तीसगढ़
18. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, रायपुर/बिलासपुर, छत्तीसगढ़
19. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर
20. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़
21. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, रायपुर को वित्त विभाग की वेबसाइट www.cgfinance.nic.in में अपलोड करने हेतु ।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।


Ravinder

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
वित्त विभाग

WORKS DEPARTMENT

(Public Works Department, Water Resource Department, Public Health Engineering Department)

S. No.	Description	Authority competent to exercise the powers	Extent of delegation	Condition
88	To accord administrative approval for construction works except residential building (not included as new item in the budget).	Administrative Department	Up to Rs. 80 lakhs per work	i- Subject to the condition that the subjected construction work does not fall under the criteria of new instrument of services.
		Engineer-in-Chief	Up to Rs. 50 lakhs per work	ii- In any case revised cost of such construction should not exceed Rs.1 crore.
		Chief Engineer	Up to Rs. 20 lakhs per work	iii- This delegation shall apply only to one complete work and not to a fraction of it.



उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग